मंडल कार्यालय आदेश-22/2025

L .N.393-W/M-/Instruction/0/Vol-III Date – 11.08.25

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक
एवं मुख्य क्रू नियंत्रक, जोधपुर एवं मेडतारोड
समस्त लोको पायलट, लोको पायलट शंटर एवम सहायक लोको पायलट

विषय: दिनांक 10-08-25 को खजवाना स्टेशन पर ट्रेन संख्या 14888 में लोको ब्रेक असेंबली की खराबी से फेसिंग पॉइंट क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में तथा कैटल रन ओवर के सम्बन्ध में – रनिंग स्टाफ हेतु काउंसलिंग के लिए निर्देश

दिनांक 10-08-25 को मंडल में खजवाना स्टेशन पर ट्रेन संख्या 14888 में कार्यरत लोको 40561 WDP4D शेड LDH में ब्रेक रिंगिंग असेम्बली में खराबी होने उसके लोको राईट साइड व्हील नम्बर 5 का ब्रेक ब्लॉक , सेफ्टी 'U' क्लैंप ब्रेकेट और इसकी असेम्बली के कुछ पुर्जे टूटने से यार्ड के फेसिंग पॉइंट को क्षति पहुँचने से यातायात प्रभावित हुआ है । इस संबंध में सभी मुख्य लोको निरीक्षकों को निर्देश दिए जाते है कि अपने नामित ओर अन्य रनिंग स्टाफ को निम्न बिन्दुओ पर काउन्सलिंग कर दिनांक 26/8/25 को मंडल कार्यालय में रिपोर्ट जमा करे

1. G&SR 4.32(3)(i)- लोको पायलट अपनी गाडी को किसी परिचालित लाइन पर नहीं ले जायेगा , जब तक की वह अपने सभी नियन्त्रण पॉवर तथा ब्रेक उपकरण की जाँच न कर ले और उन्हें उचित और निर्धारित चालू हालत में न पा ले ।
2. G&SR 4.32(3)(ii)-किसी दुसरे लोको पायलट के कार्यभार लिए जाने पर उसकी यह ड्यूटी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि उसमे किसी प्रकार का दोष नहीं है और सुपर्दगी करने वाला लोको पायलट कार्यभार लेने वाले लोको पायलट को कोई दोष या क्षति जो गाडी के संचलन को प्रभावित कर सकते के बारे में अवश्य जानकारी देगा ।
3. लोको का चार्ज लेते समय उसके ब्रेक सिस्टम, ब्रेक रिगिंग असेम्बली , स्लैक एडजस्टर रोड तथा इसके कोटर पिन और बोल्ट, ब्रेक ब्लॉक, इससे सम्बन्धित सभी बोल्ट सही प्रकार से लगे होना सुनिश्चित करे ।
4. लोको में दोनों बोगी SA-9 द्वारा सभी व्हील पर ब्रेक ब्लॉक का पूरी तरह से लगना और रिलीज होना सुनिश्चित करे ।
5. स्टॉपेज के दौरान समय मिलने पर लोको के अंडर फ्रेम सेफ्टी आइटम, लोको और लोड के बिच कप्लर, एक्सल का तापमान, कोई हैंगिंग पार्ट तथा कोई भी लीकेज इत्यादि की जाँच तथा MR टैंक से नमी को ड्रेन करे ।
6. CRO होने पर तुरंत गाडी को खड़ी करे तथा लोको और उसकी अंडर फ्रेम सेफ्टी फिटिंग को चेक करे ।
7. CRO होने पर दिनांक 25-08-2024 को जारी JPO की अनुपालना सुनिश्चित करे । (सलंग्न)
8. लोको की जाँच के दौरान किसी भी प्रकार की खराबी मिलने पर तुरंत PCR/TLC को इसकी सही सुचना देवे तथा उनके निर्देशों की पालना करे ।
9. सभी PCR/TLC लोको में खराबी /समस्या की सुचना मिलने पर क्रू को उचित मार्गदर्शन देकर समस्या ठीक करवाए तथा जरूरत हो तो फिटर अटेंड करवाए या सहायता लोको की व्यवस्था करे ।

सभी सम्बन्धित इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करे ।

सलंग्न -यथोक्त

11/08/25

Sr.DME (Enhm&P)
NWR, JU

उत्तर पश्चिम रेलवे

मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर

पत्र संख्या. MT06B/ JPO/CRO/2024/x, Dated- 25.11.2024.
सन्दर्भ :- एमटी06बी/जेपीओ/सीआरओ/विविध, दिनांक- 25.08.2024.

To
समस्त यातयात निरीक्षक (खंड), मुख्य नियंत्रक/जोधपुर,उप मुख्य नियंत्रक (समय पालन, परिचालन,)/ जोधपुर, एमटीएस/जोधपुर, मुख्य शक्ति नियंत्रक / जोधपुर एवं समस्त स्टेशन/जोधपुर मंडल |

Sub: - **कैटल रन ओवर के केस के सम्बन्ध में संयुक्त प्रक्रिया आदेश |**

उपरोक्त संदर्भित पत्र के संदर्भ में कैटल रन ओवर (सीआरओ) हो जाने पर की जाने वाली कार्यवाही के सन्दर्भ में संयुक्त प्रक्रिया आदेश (एमटी06बी/जेपीओ/सीआरओ/विविध,दिनांक- 25.08.2024) की प्रति आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु भेजी जा रही है |

आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु |

मंडल परिचालन प्रबंधक (G)
उतर - पश्चिम रेलवें – जोधपुर

संलग्न :- यथोक्त –

प्रति:- 01. मंडल रेल प्रबंधक महोदय/जोधपुर – सादर सूचनार्थ |
02. अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय/जोधपुर – सादर सूचनार्थ |
03. वरि. मंडल परिचालन प्रबंधक/जोधपुर एवं वरि. मंडल संरक्षा अधिकारी/जोधपुर - सादर सूचनार्थ |
04. वरि. मंडल यांत्रिक अभियंता (शक्ति)/जोधपुर - आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ |
05. वरि. मंडल अभियंता समन्वय (इंजी.) / जोधपुर - आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ |
06. वरि. मंडल सुरक्षा आयुक्त/ जोधपुर - आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ |

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेलवें – जोधपुर

पत्र संख्या एमटी06/बी /जेपीओ/सीआरओ/विविध, दिनांक 25.03.2024

विषयः- कैटल रन ओवर के केस के सम्बन्ध में सयुंक्त प्रक्रिया आदेश।
सन्दर्भः- मुख्य परिचालन प्रबंधक (G) पत्रांक AM /341/01, दिनांक – 28.06.2021

कैटल रन ओवर के केस में परिचालन, अभियांत्रिक एवं मैकेनिकल विभाग के गाड़ी संचालन से जुड़े कर्मचारी के मध्य उत्पन्न होने वाली विवादास्पद स्थिति को दूर करने एवं इसके कारण गाड़ियों का अनावश्यक विलम्ब रोकने हेतु इस विषय सन्दर्भ में सयुंक्त प्रक्रिया आदेश के रूप में उचित दिशा निर्देश जारी किये जाते है | सभी सम्बंधित कर्मचारी भविष्य में ब्लॉक खंड में अथवा स्टेशन सीमा में होने वाले कैटल रन ओवर केस में इन दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें |

1. CRO होने पर लोको पायलेट ट्रेन मैनेजर को सूचित करेंगे एवं सहायक नियम 04.50 में दिए गए सिटी कोड के अनुसार सिटी बजायेंगे एवं नियंत्रण कार्यालय को सूचित करेंगे।
2. गाड़ी/लोको खड़ी करने के पश्चात सामान्य नियम 06.03 व इनके सहायक नियमों के अनुसार आगे व पीछे से गाड़ी/लोको का बचाव किया जाये |
3. लोको पायलेट के द्वारा लोको मोटिव, ट्रेक एवं गाड़ी की जाँच कर के यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कहीं कैटल (मवेशी) या उसका कोई भाग फंसा हुआ तो नहीं है, यदि ऐसी कोई स्थिति हो तो पहले कैटल (मवेशी) को निकालने की कार्यवाही करेंगे एवं ट्रेक क्लियर होने के बाद नियमों का पालन करते हुए गाड़ी को पुनः रवाना करेंगे |
4. यदि कोई बड़े आकार का कैटल (मवेशी) लोको/ गाड़ी/ट्रेक में इस प्रकार से फसगया हो कि लोको पायलेट/सहायक लोको पायलेट कैटल (मवेशी) को निकालने में असमर्थ हो तो गाड़ी का बचाव करने के बाद गाड़ी के ट्रेन मैनेजर से तथा यदि RPF स्टाफ गाड़ी के साथ ड्यूटी पर नियुक्त है तो उनसे भी इस कार्य में सहायता ली जाएगी और उक्त सभी कर्मचारी मिल कर ट्रेक को क्लियर करेंगे |
5. अधिक सहायता की आवश्यकता होने पर एवं फसे हुए कैटल (मवेशी) को निकालने हेतु औजार की आवश्यकता होने की स्थिति में ट्रेन मैनेजर के माध्यम से इसके सन्दर्भ में खंड नियंत्रक एवं निकटतम स्टेशन के स्टेशन मास्टर को स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी दी जाएगी |
6. खंड नियंत्रक द्वारा इंजीनियरिंग कंट्रोल (MTS) की सहायता से सम्बंधित SSE/pway को शिघ्रातीशीघ्र आवश्यक सहायता की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया जायेगा |
7. नजदीकी स्टेशन का स्टेशन मास्टर सम्बंधित गैंग जमादार को इस घटना के संदर्भ में लोकेशन एवं की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख करते हुए लिखित में मिमों दिया जायेगा | गैंग जमादार के स्टेशन पर उपलब्ध नहीं होने पर टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया जायेगा |
8. सम्बंधित SSE/pway अथवा सम्बन्धित गैंग जमादार, ऐसी सुचना मिलने पर अविलम्ब आवश्यक सहायता पहुंचाएंगे तथा ट्रेक क्लियर करने की कार्यवाही करेंगे | तत्पश्चात गाड़ी को निमानुसार घटना स्थल से रवाना किया जायेगा |
9. यदि CRO होने के कारण लोको की विफलता होती है या लोको आगे कार्य करनें में असमर्थ हो जाता है तो तत्काल रिलीफ इंजन की मांग करते हुए गाड़ी का बचाव किया जायेगा |
10. गैंग द्वारा लाइन साफ़ होने की सुचना सम्बंधित स्टेशन मास्टर को दी जाएगी जिससे इस सन्दर्भ में यदि सावधानता आदेश लागू किया गया हो तो उसे रद्द किया जा सकें |
11. सम्बंधित स्टेशन पर CRO रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि की जायेगी|
12. एक ही जगह बार बार CRO होने की स्थिति में इंजीनियरिंग विभाग द्वारा इसके कारण की जाँच की जाये तथा इसकी रोकथाम के लिये उचित कार्यवाही की जाये |
13. स्टेशन यार्ड में पॉइंट पर CRO होने की स्थिति में लोको पायलट वाकी टाकी के माध्यम से इसकी सुचना ट्रेन मैनेजर एवं सम्बंधित स्टेशन के स्टेशन मास्टर को देगा | ट्रेन मैनेजर रफ जर्नल में इसका इन्द्राज करेगा तथा उप मुख्य नियंत्रक ((समय पालन) को इसकी सुचना देगा | स्टेशन मास्टर पॉइंट पर CRO की सुचना मिलने पर स्वयं या सक्षम रेल कर्मचारी को यह देखने के लिए भेजेगा कि CRO के कारण पॉइंट या अन्य किसी रेल उपस्कर को क्षति तो नहीं हुई है | यदि हाँ तो इसकी सुचना सम्बंधित विभाग को देगा |
14. स्टेशन यार्ड में यदि CRO होता है तो उसके सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर के द्वारा ट्रेक क्लियर करने के लिए सम्बंधित गैंग जमादार/SSE/pway को लिखित में मिमों दिया जायेगा और ट्रेक को क्लियर करने के दौरान यार्ड में उपलब्ध कांटे वाला/गेटमैन ट्रेक को क्लियर करने ट्रेक मैन की सहायता करेगा |
15. ब्लॉक खंड में होने वाले CRO के सन्दर्भ में सम्बंधित ट्रेन का ट्रेन मैनेजर यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त स्थान पर फेंसिंग की व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं और यदि है तो उस स्थान से हटी हुई तो नहीं है, जिसके कारण कैटल (मवेशी) ट्रेक के अन्दर आया है | उक्त दोनों ही स्थिति में इसकी सुचना उसके द्वारा उप मुख्य नियंत्रक (समय पालन) को दी जाएगी |

Sr. DEN/Co./JU **Sr. DOM/JU** **Sr. DME/JU** **Sr. DSC/RPF/JU**